700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–प्रथम
नीलगिरी काम्पलैक्स द्वितीय तल, इन्दिरा नगर,
लखनऊ
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700
Bureau of Indian Standards
SQMS

## स्वीकृति–पत्र

पत्रांक. 2887 /नि0प्रा0 - 03/15-16 दिनांक: 9/11/15

सेवा में,

श्री मुस्तकीम शफी पुत्र श्री अलीजान
32, ग्रेटर अप्पू इन्कलेव, मोदीपुरम,
मेरठ।

**विषय: व्यवसायिक भूखण्ड संख्या सी0पी0–424/12 योजना संख्या–7 शास्त्रीनगर, मेरठ हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक आपका आवेदन दिनांक 05–11–15, जो कि उक्त व्यवसायिक भूखण्ड सं0 सी0पी0–424/12 योजना संख्या–7, शास्त्री नगर मेरठ के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में है, के समस्त प्रपत्रों/मानचित्रों का परीक्षणोपरान्त अवगत कराना है कि लघु संशोधनों सहित आपका मानचित्र स्वीकृति योग्य पाया गया है।

अतः उक्त क्रम में एतद्द्वारा निम्नांकित शर्तों के अधीन निर्माण की अनुमति निर्गत की जाती है:–

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 9/11/15 से 8/11/2020 तक) पाँच वर्ष की होगी।
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड – 8 मेरठ को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. यदि इस भवन हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
7. यह स्वीकृति 534.68 वर्ग मीटर बेसमेन्ट+भूतल+प्रथम तलों तथा ममटी के निर्माण क्षेत्र के लिये 452.40 वर्ग मीटर भूखण्ड हेतु प्रदान की गयी है।
8. भूखण्ड में अनुमन्य आवंटी तथा क्रेतागण अपने वाहन को भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित पार्किंग स्थल में खड़ा करेंगें जिससे बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरूद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है तो इसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम व पता अंकित होना अनिवार्य है।
10. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
11. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि व्यवसायिक भवनों में हो रहें क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
12. कम से कम 200 वर्ग मी0 क्षेत्रफल पर एक पेड़ की दर से वृक्षारोपण अनिवार्य रूप करना होगा।

क्रमशः—2

Scanned by CamScanner

3. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
14. समय–समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।
आर्कीटेक्चरल मानचित्र का एक सेट।

09/11/15

वास्तुविद नियोजक एवं विशेष कार्याधिकारी

09.11.15

पृ0सं0: 2887/ उपरोक्त /

तद्दिनांक 09/11/15

प्रतिलिपिः 1. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8.उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद शास्त्री नगर मेरठ को स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय मेरठ उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

09/11/15

वास्तुविद नियोजक एवं विशेष कार्याधिकारी

09.11.15

Scanned by CamScanner

IS 15700:2005
सेवोत्तम प्रमाणित

# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–प्रथम
नीलगिरी काम्पलैक्स द्वितीय तल, इन्दिरा नगर,
लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

दिनांक 21/6/17

संख्या 1725 /नि0प्रा0–01/2017–18/वा0नि0–1–मेरठ

## स्वीकृति–पत्र

सेवा में,

श्रीमती शाहना जकी पत्नी श्री जमीउर्रहमान
मकान नं0–50, भवानी नगर नौचन्दी
मेरठ।

विषय :– व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–सी0पी0–413/12, शास्त्री नगर, मेरठ हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–सी0पी0–413/12, शास्त्री नगर, मेरठ में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 14–06–2017 के क्रम में निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पॉच वर्ष की होगी। दिनांक 21/6/17 से 20/6/2022 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–08, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, मेरठ को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक, मेरठ से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति **B+G+1 तलों तथा ममटी हेतु 369.05 वर्ग मी0** निर्माण क्षेत्रफल के लिए **360.00 वर्ग मी0** के भूखण्ड में प्रदान की गयी है।
7. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरूद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
8. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
9. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असमान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
10. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
11. शासनादेश के अनुसार 125 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।

क्रमश––2

Scanned by CamScanner

12. नियमानुसार पार्किंग का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
13. समय–समय पर शासन द्वारा किये गये निर्देश मान्य होंगे।
14. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रख–रखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
15. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन–सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
16. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

**संलग्नकः** मानचित्र का एक सेट।

21/6/17

**(श्याम जतन यादव)**
**वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी**

पृ0सं0:– 1725 /उक्त / दिनांकः 21/6/17

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को मानचित्र की एक प्रति सहित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ।
3. उप श्रमायुक्त, कार्यालय उ0प्र0, मेरठ क्षेत्र बेगमपुर, मेरठ।

21/6/17

**वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी**

Scanned by CamScanner

O/C.

IS 15700:2005
सर्वोत्तम प्रमाणित

# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–प्रथम
नीलगिरी काम्पलैक्स द्वितीय तल, इन्दिरा नगर,
लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

संख्या 2184 /नि0प्रा0–06/2015–16/वा0नि0–1–मेरठ

दिनांक 21-07-2016

## स्वीकृति–पत्र

सेवा में,

AIM INFRA-HOMES LLP
द्वारा श्री इकबाल अहमद पुत्र स्व0 जुल्लन
पेट्रोल पम्प के सामने, जाकिर कालोनी,
मेरठ।

**विषय :– खसरा संख्या–3947 से 3951, कस्बा मेरठ सेक्टर–12, यो0सं0–7 शास्त्री नगर, मेरठ हेतु ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

खसरा संख्या–3947 से 3951, सेक्टर–12 योजना सं0–7, शास्त्री नगर, मेरठ जिनका समायोजन सम्बन्धी ले–आउट आवास आयुक्त (म0) द्वारा दिनांक 23–9–2015 को अनुमोदित है, पर में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 15–7–2016 के क्रम में निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पॉच वर्ष होगी। दिनांक 21-07-2016 से 20-07-2021 तक
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयवृद्धि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है, तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी मेरठ से समयवृद्धि प्रमाणक प्राप्त कर लिया जाये।
6. रजिस्ट्री के समय मानचित्र में प्रस्तावित किसी भी फ्लैट का सब–डिवीजन अनुमन्य नहीं होगा तथा वर्तमान मानचित्र में कुल **24 डुप्लेक्स** फ्लैट का निर्माण अनुमन्य किया जा रहा है।
7. यह स्वीकृति प्रस्तावित कुल निर्माण क्षेत्रफल **11753.85 वर्गमी0, आवासीय :7911.43 वर्ग मी0+व्यवसायिकः 11763.95** (जिसमें नान–एफ0ए0आर0 क्षेत्र भी सम्मिलित है) के लिये **17753.85+4246.15=22000 व0मी0** भूखण्ड पर प्रदान की गयी है, स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. यह स्वीकृति सक्षम स्तर द्वारा प्रदत्त अनुमोदन दिनांक 27–4–2016 एवं 28–6–16 के आलोक में **बेसमेन्ट+भूतल (बी+जी+3)** हेतु प्रदान की गयी है।
9. भूखण्ड में अनुमन्य आवंटी तथा केतागण अपने वाहन को भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित पार्किंग स्थल में खड़ा करेगें जिससे बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरूद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है तो इसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
10. विजिटर्स पार्किंग का प्राविधान भूखण्ड बाउण्ड्री के बाहर न करके भूखण्ड परिसर के अन्दर ही करना होगा।
11. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा जिससे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम पता अंकित होना अनिवार्य है।
12. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
13. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि ग्रुप हाउसिंग भवनों में हो रहे कियान्वयन से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस कियाकलाप को राकेने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
14. शासनादेश के अनुसार प्रस्तावित भूखण्ड पर 50 पेड़/हैक्टे0 की दर से वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
15. शासनादेश के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
16. समय–समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।

क्रमशः—2

Scanned by CamScanner

17. भूकम्परोधी निर्माण हेतु शासनादेश सं0 570–9–आ–12001(भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक–3.2.2001 एवं स0 3751/ 9–आ0–भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्ते, एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है, जिनका अनुसरण प्रत्येक दशा में करना होगा।
18. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मेरठ के पत्र संख्या–19जे0डी0/फा0स0/लखनऊ–16(मेरठ)/183 दिनांक 03–7–2016 द्वारा प्रदत्त प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तो का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है तथा भवन के निर्माण के पश्चात तथा उपयोग से पूर्व स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी/उपनिदेशक उ0प्र0 फायर सर्विसेज, मेरठ से पुनः अनन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
19. आवंटी द्वारा सलंग्न प्रारूप पर पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी सलंग्न करना होगा। निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य यथामानक सही पाये जाने पर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 परिशिष्ट–6 प्रपत्र–ब के अनुसार अध्यासन से पूर्व पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
20. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र स्ट्रक्चरल प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्निशमन/सुरक्षा सम्बंधी अन्य समस्त प्राविधानों को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।
21. आवास आयुक्त (म0) के निर्णय दिनांक 18–07–2016 के कम में जल व्यय शुल्क रू0 18,49,485/–(अट्ठारह लाख उन्चास हजार चार सौ पच्चासी मात्र) एवं सुदृढ़ीकरण शुल्क रू0 48,36,824/– (अड़तालिस लाख छत्तीस हजार आठ सौ चौबीस मात्र) परिषद खाते में यथा रूप से स्वीकृति पत्र निर्गत तिथि से ब्याजमुक्त की एक वर्ष की समयावधि में जमा करना सुनिश्चित किया जाना होगा।
22. आवास आयुक्त (म0) के निर्णय दिनांक 19–7–2016 के कम में संगत शासनादेश के अनुसार वॉछित दुर्बल आय वर्ग/ अल्प आय वर्ग भवनों हेतु मानचित्र निर्गत की तिथि से अधिकतम 06 माह के भीतर नियमानुसार स्वीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप द्वारा नियमानुसार शेल्टर शुल्क का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

**सलंग्नकः उपरोक्तानुसार।**

1. आर्कीटैक्चरल मानचित्रों का एक सैट–( 09 नग शीट्स)
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन का एक सेट –( 11 नग शीट्स)
3. स्ट्रक्चरल गणना का एक सेट 01 नग पृष्ठ)
4. उप निदेशक, फायर सर्विसेज मेरठ से अनुमोदित मानचित्र/ एन0ओ0सी0 की प्रति। –( 08 नग शीट्स)

21/7/16

**(श्याम जतन यादव)**
**वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी** 21.7.16
दिनांकः 21-7-2016.

पृ0सं0:– 2184 /उक्त /

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता–द्वितीय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को उपरोक्त संलग्नकों सहित इस आशय से प्रेषित कि पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु प्रारूप–ब के अनुसार यह सुनिश्चित कर लें कि आवंटी द्वारा उपरोक्त शर्तो का अनुपालन किया जा रहा है।
3. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर, मेरठ।
4. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मेरठ को प्रपत्र 'च' तथा अग्निशमन सम्बन्धी मानचित्रों के एक सेट सहित।
5. उप श्रमायुक्त, मेरठ।

21/7/16

**वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी**
21.7.16

Scanned by CamScanner